

**प्रकरण संख्या 26 / 2017 बादर व अन्य बनाम हुका व अन्य**

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.07.2018	<p>वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन पर बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2016 को अंतिम डिक्री जारी की। अपीलान्ट का प्रमुख कथन यह है कि प्रारम्भिक डिक्री की पालनाम में जो विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये हैं वह मौका रिपोर्ट व कब्जे के अनुसार नहीं हैं तथा अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।</p> <p>हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी द्वारा तैयार किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा बहस के दौरान सहमति देते हुए प्रकरण में पुनः विभाजन प्रस्ताव अधिकृत व्यक्ति द्वारा सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तबल किये जाने का कथन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनाधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी है, तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विपरीत होने से त्रुटि पूर्ण है।</p> <p>अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय को भिजावें तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभयपक्षों को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर</p>	

**प्रकरण संख्या 26/2017 बादर व अन्य बनाम हुका व अन्य**

देकर, यदि कोई आपत्तियां हैं तो उनका विधिक निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.09.2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

प्रकरण संख्या 26/2017 बादर व अन्य बनाम हुका व अन्य

--	--	--